मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XVI | अंक 4 | अक्टूबर 2020

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	3
III.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
IV.	भुगतान और निपटान प्रणाली	4
V.	जारी आंकड़े	4
	राज्य वित्त: 2020-21 के बजट का अध्ययन	4
VI.	अनुसंधान	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अक्टूबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता हैं।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

9 अक्टूबर 2020 को गवर्नर का वक्तव्य

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, ने 09 अक्टूबर 2020 को दिये अपने वक्तव्य में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के नए सदस्यों का स्वागत किया और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने रिज़र्व बैंक के टीम को भी उनकी विश्लेषणात्मक सहायता और लोजिस्टिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे, जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25वीं थी।

गवर्नर के वक्तव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

बहाली की रूपरेखा

- 2020 की दूसरी तिमाही में जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, वैश्विक आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से पलट कर प्रकट हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं में और उसके भीतर असमान रूप से हुई हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। पूर्व-कोविड स्तरों के सापेक्ष, कई उच्च-आवृत्ति संकेतक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संकुचन को आसान बनाने और वृद्धि के आवेगों के उभरने की ओर इशारा कर रहे हैं।
- इस माहौल में, फोकस को अब नियंत्रण से पुनरुद्धार में बदलना चाहिए। महामारी से अडिग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था लचीली प्रतीत हो रही है।
- इसमें से कुछ आशावाद लोगों की उम्मीदों में परिलक्षित किया जा रहा है। आरबीआई के सर्वेक्षण के सितंबर 2020 के दौर में, परिवारों में मुद्रास्फीति अगले तीन महीनों में मामूली गिरावट की उम्मीद करती है, इस उम्मीद का संकेत है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो रहा है।
- सितंबर 2020 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक का सूचकांक (पीएमआई) नए आदेशों और उत्पादन में तेजी के कारण जनवरी 2012 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 56.8 तक पहुंच गया। सितंबर में 49.8 के लिए पीएमआई की सेवाएं संकुचन में बनी रहीं, लेकिन अगस्त में 41.8 से बढ़ी हैं।
- वर्तमान में रिकवरी के आकार के बारे में एक एनिमेटेड बहस है। क्या यह V, U, L या W होगा? अभी हाल ही में, K-आकार की रिकवरी के बारे में भी बात हुई है। मेरे विचार में, इसमें मुख्य रूप से एक थ्री-स्पीड रिकवरी की संभावना है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग गति दिखा रहे हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट वास्तविकताओं पर निर्भर करता है।
- सितंबर 2020 में विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों में मामूली रिकवरी आर्थिक गतिविधि में बढ़ते अनलॉकिंग के साथ 2020-21 की दूसरी छमाही में और मजबूत हो सकती है।

वित्तीय बाजार मार्गदर्शन

- पिछले कुछ हफ़्तों से, एक ओर रिज़र्व बैंक के ऋण प्रबंधन और मौद्रिक परिचालन और दूसरी ओर बाज़ार में प्रत्याशा के बीच अंतर्निहित तर्क को अलग किया गया है।
- वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन और लोक ऋण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियों के साथ मौद्रिक नीति प्राधिकार के रूप में, रिज़र्व बैंक ने बाजारों और वित्तीय संस्थानों के क्रमबद्ध कार्य, वित्तपोषण की शर्तों में ढील और पर्याप्त प्रणाली-स्तर के साथ-साथ लक्षित चलनिधि के प्रावधान को प्राथमिकता दी है।
- 2020-21 के लिए एक संवर्धित बाजार उधार कार्यक्रम के बावजूद, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए वर्ष की पहली छमाही के लिए निर्गम निर्बाध रूप से प्रबंधित किए गए। 2020-21 की पहली छमाही के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उधार की भारित औसत लागत 5.82 प्रतिशत थी जो पिछले 16 वर्षों में सबसे कम है।
- बाजार सहभागियों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि 9 अक्टूबर 2020 को घोषित मौद्रिक नीति रुख को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक सुलभ चलनिधि स्थिति बनाए रखेगा और बाजार के परिचालन को एकमुश्त और विशेष खुला बाजार परिचालन के रूप में संचालित करेगा।

- ❑ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों खंडों में, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में प्रतिफल को सुलभ चलनिधि स्थिति के साथ संरेखित कर विकसित करने की आवश्यकता है।
- ❑ वित्तीय बाजार स्थिरता और प्रतिफल वक्र का क्रमिक विकास सार्वजनिक सेवा हैं और दोनों बाजार सहभागी है और रिज़र्व बैंक की इस संबंध में साझा जिम्मेदारी है।
- ❑ राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में और कर राजस्व की हानि के कारण महामारी द्वारा अधिरोपित मजबूरियों के कारण 2020-21 के लिए संवर्धित उधार कार्यक्रम आवश्यक हो गया है।

गवर्नर का पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

मांग पर टीएलटीआरओ

रिज़र्व बैंक ने 21 अक्टूबर 2020 को पॉलिसी रेपो दर से संलग्न अस्थायी दर पर कुल ₹ 1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों को मांग पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को संस्था द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जारी कॉरपोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना चाहिए जो 30 सितंबर 2020 को ऐसे लिखतों में अपने निवेश के बकाया स्तर के अलावा हो। इस योजना के तहत प्राप्त चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों के ऋणों और अग्रिमों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

चलनिधि उपाय और वित्तीय बाजार

मांग पर टीएलटीआरओ

रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय किया गया है कि पॉलिसी रेपो दर से सहलग्न अस्थायी दर पर कुल ₹ 1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के टीएलटीआरओ को मांग पर आयोजित किया जाए। इस योजना को प्राप्त प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद राशि और अवधि बढ़ाने के संबंध में लचीलेपन के साथ यह योजना 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी।

एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारण

31 मार्च 2021 के बाद एसएलआर प्रतिभूतियों में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) निवेशों की स्थिति के बारे में बाजारों को अधिक निश्चितता देने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच अर्जित प्रतिभूतियों के लिए 31 मार्च 2022 तक 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम (परिपक्वता तक धारित) सीमा प्रदान की जाए।

राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में ओएमओ

चलनिधि में सुधार और कुशल मूल्य निर्धारण की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा एसडीएल में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक विशेष मामले के रूप में खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में एसडीएल के एक समूह का ओएमओ परिचालन किया जाएगा।

निर्यात को समर्थन

निर्यातकों की स्वचालित सतर्कता सूची

निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) को अधिक निर्यातक के अनुकूल और निष्पक्ष बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा स्वचालित सतर्कता सूची में शामिल करने को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा रिज़र्व बैंक, एडी बैंक की मामला-विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सतर्कता सूची में शामिल करना जारी रखेगा।

विनियामक उपाय

जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा

एक्सपोज़र के मूल्य के संबंध में, यह निर्धारित किया गया है कि एक प्रतिपक्ष को अधिकतम एकत्रित खुदरा एक्सपोजर ₹5 करोड़ की पूर्ण उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस खंड के लिए व्यक्तियों और छोटे कारोबारों (अर्थात् ₹50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले) के लिए ऋण की लागत को कम करने और बासेल दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए सभी नए और साथ ही वृद्धिशील पात्र एक्सपोज़र के संबंध में इस सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाना

आर्थिक सुधार में स्थावर संपदा क्षेत्र की महत्वपूर्णता को स्वीकार करते हुए, रोजगार सृजन में और अन्य उद्योगों के साथ अंतरसंबंधों में इसकी भूमिका को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिचक्रीय उपायों के रूप में 31 मार्च 2022 तक मंजूर सभी नए आवास ऋणों के लिए उनको केवल एलटीवी अनुपातों से जोड़कर जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाया जाए।

वित्तीय समावेशन

सह-उत्पत्ति मॉडल की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 2018 में, कुछ शर्तों के अधीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) की एक श्रेणी के द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। एक सहयोगी प्रयास से बैंकों और एनबीएफसी के संबंधित तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाने के लिए और अर्थव्यवस्था के सेवा रहित और अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को सभी एनबीएफ़सी (एचएफ़सी सहित) के लिए लागू किया जाए ताकि योजना के लिए सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को पात्र बनाया जा सके तथा उधार देने वाले संस्थानों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान किया जा सके और उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे आउटसोर्सिंग, केवाईसी, आदि पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करें।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली

आरटीजीएस की चौबीसों घंटे उपलब्धता

भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने और घरेलू कॉर्पोरेट्स और संस्थानों को व्यापक भुगतान लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने हेतु हर रोज आरटीजीएस प्रणाली को चौबीस घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय रिज़र्व बैंक द्वारा लिया गया है।

पीएसओ को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) के लिए स्थायी वैधता

लाइसेंस अनिश्चितताओं को कम करने और पीएसओ (भुगतान प्रणाली परिचालक) को अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और दुर्लभ नियामक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय शर्तों के अधीन सभी पीएसओ को स्थायी आधार पर प्राधिकरण प्रदान किया जाए।

पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को ''अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) अक्टूबर 2020'' जारी की। एमपीआर की मुख्य बातें हैं:

- ❑ *समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण*

भारत में, वास्तविक जीडीपी रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई। आपूर्ति बाधाओं और ऊँचे करों ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य की ऊपरी सह्य सीमा

से भी ऊपर धकेल दिया। वैक्सीन आने में देरी, आपूर्ति बाधाओं के बने रहने, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों और एक ढांचागत चरित्र लेती उच्च खाद्य स्फीति के कारण अधोगामी जोखिम समष्टि आर्थिक परिदृश्य के लिए स्पष्ट और मौजूदा खतरे हैं।

मूल्य एवं लागत

मार्च एवं जुलाई 2020 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में व्यापक-आधार वाली वृद्धि प्रोटीन-आधारित खाद्य सामग्रियों में मांग आपूर्ति के कड़े संतुलन, बाढ़ के कारण सब्जियों के उत्पादन को नुकसान, वैश्विक महामारी के कारण खुदरा मुनाफे में बढ़ोतरी, पेट्रोल तथा डीजल पर करों में बढ़ोतरी, स्वर्ण की सुरक्षित मानी जाने वाली मांग तथा लागत बढ़ने के दबावों से हुई।

मांग और उत्पादन

नियत निवेश, निजी उपभोग तथा निर्यात में 2020-21 की पहली तिमाही में अप्रत्याशित गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में ग्रामीण क्षेत्र से तीव्र मांग तथा शहरी उपभोग में थोड़ी वद्धि हो जाने से सकल मांग की स्थिति में क्रमश: सुधार दर्ज किया गया। आपूर्ति पक्ष की ओर देखे तो पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में तीव्र गिरावट और निर्माण गतिविधियों में आई कमी के बाद दूसरी तिमाही में गिरावट की स्थिति में लगातार सुधार हुआ ।

वित्तीय बाजार और चलनिधि परिस्थितियां

2020-21 की पहली छमाही के दौरान व्यापार की मात्रा में सुधार होने, अंतरालों (स्प्रेड) में कमी होने और वित्तीय आस्तियों के मूल्य पुन: बढ़ने के साथ घरेलू वित्तीय बाजार में सामान्य स्थिति लौट आई । मार्च में वैश्विक हलचल के अनुरूप हड़बड़ी में हुई बिकवाली के बाद इक्विटी बाजार में मजबूती से बहाली हुई । निवेशकों में ईएमई आस्तियों के प्रति चाहत लौटने के साथ भारतीय रुपया के मूल्य में अमेरिकी डॉलर की तुलना में वद्धि हुई । ऋण बाजार में, सचंरण में ऐतिहासिक अनुभव के सापेक्ष उल्लेखनीय सुधार हुआ।

बाह्य परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड-19 से उत्पन्न हुए अप्रत्याशित आघात से डगमगा रही है । उच्च बारबंरता सूचकों से आर्थिक गतिविधियों के तीसरी तिमाही में निम्नतम स्तर पर पहुँचने की शुरुआत हो चुके होने के संकेत मिलने के बावजूद अल्पावधिक संभावनाओं की निर्भरता इस विषाणु और इसके टीके से सबंधित अनिश्चितताओं पर बनी हुई हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के साथ ही कुछ उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से सबंधित मुद्रास्फीति व्यापक रूप से नियंत्रित और केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उछाल विद्यमान रहा, जिसे अत्यधिक समायोजनकारी मौद्रिक नीति के दीर्घावधि तक जारी रहने के संकेतों से सहारा मिला। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

विवरणियां प्रस्तुत करना – समय का विस्तार

रिज़र्व बैंक ने 13 अक्टूबर 2020 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के तहत राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को और तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तदनुसार, सभी राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले उपर्युक्त विवरणियां रिज़र्व बैंक और नाबार्ड को प्रस्तुत की जाएं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 से खुदरा जोखिम सीमा को प्रतिपक्ष के लिए कुल ₹ 5 करोड़ रुपये से ₹ 7.5 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की है। ₹ 75 प्रतिशत का जोखिम भार सभी नए एक्सपोज़र पर लागू होगा और मौजूदा एक्सपोज़र पर भी लागू होगा जहाँ बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया गया है। अन्य जोखिम मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम भार ही बने रहेंगे। अधिक जानकरी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एचएफसी विनियमन ढांचे की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईबी (आस्तियों के प्रतिशत के रखरखाव) तथा धारा 45-आईसी (आरक्षित निधि) से आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी और 29सी के संबंधित प्रावधान एचएफसी के लिए लागू होंगे। अगले दो वर्षों में एचएफसी और एनबीएफसी के नियमों के बीच सामंजस्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि कम व्यवधान से परिवर्तनकाल को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

अनुग्रह भुगतान का अनुदान

दिनांक 23 अक्टूबर 2020 के विनिर्दिष्ट ऋण खाता (01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त 2020) जो संबंधित ऋणदाता संस्थानों द्वारा 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर को उनके खाते में जमा करने के माध्यम से उधारकर्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए अनुग्रह भुगतान के अनुदान को अनिवार्य करता है, में उधारकर्ताओं के लिए छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान के अनुदान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्टूबर 2020 को सभी ऋण संस्थानों को भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने के लिए सूचित किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करना/ सूची से हटाना

रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को प्रणाली को अधिक निर्यातक-अनुकूल और निष्पक्ष बनाने की दृष्टि से ईडीपीएमएस में निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करना/ सूची से हटाना' के लिए मॉड्यूल को संशोधित किया। संशोधित क्रियाविधि के अंतर्गत ए.डी. बैंक तथा अन्वेषण एजेन्सियों के पास निर्यातकों के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित ए.डी. बैंक की सिफ़ारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निर्यातक को सतर्कता सूची में शामिल किया जाएगा।

यदि निर्यातक के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)/ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/ राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)/ ऐसी किसी अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसी को प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो और/ अथवा जहां निर्यातक का पता न लगाया जा सके और/अथवा वह निर्यात आय की वसूली के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा हो, ऐसे मामलों में ए.डी. बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को इस संबंध में सिफ़ारिश करेंगे। इसी प्रकार ए.डी. बैंक किसी निर्यातक को सतर्कता सूची से हटाने के लिए भी निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सिफ़ारिश करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

क्यूआर कोड इन्फ्रास्ट्रक्चर को युक्तिसंगत बनाना

भारत में क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा और इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर बढ़ने के उपायों पर सुझाव देने के लिए समिति की रिपोर्ट पर प्राप्त अनुशंसा और प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित निर्णय लिया:

- मौजूदा दो इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड–यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर– वर्तमान में जारी रहेंगे।
- भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स (पीएसओ) जो मालिकाना क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं, एक या एक से अधिक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड में शिफ्ट हो जाएंगे।
- इसलिए किसी भी भुगतान लेनदेन के लिए किसी भी पीएसओ द्वारा कोई भी नया मालिकाना क्यूआर कोड लॉन्च नहीं किया जाएगा।
- रिज़र्व बैंक, फाटक समिति द्वारा पहचानी गई लाभकारी विशेषताओं को सक्षम करने के लिए इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड को मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया जारी रखेगा।
- पीएसओ इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल कर सकते हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एसआरओ

रिजर्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2020 को ड्राफ्ट रूपरेखा पर प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व–विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019–21 में भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए एक स्व–विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य – 2019–20 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में पीएसओ के लिए एक एसआरओ की स्थापना के लिए एक रूपरेखा बनाने की घोषणा की थी। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

V. जारी आंकड़े

माह अक्टूबर 2020 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए:

	शीर्षक
1	अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां – मार्च 2020
4	तिमाही बीएसआर–1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण
5	भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	निजी कॉरपोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन
7	म्यूचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों का सर्वेक्षण 2019–20

राज्य वित्त: 2020–21 के बजट का अध्ययन

रिज़र्व बैंक ने 27 अक्टूबर 2020 को ''राज्य वित्त: 2020–21 के बजट का अध्ययन'' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो 2018–19 और 2019–20 के लिए क्रमशः वास्तविक और संशोधित (या अनंतिम खातों) परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना, विश्लेषण और 2020–21 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय ''COVID-19 और भारत में इसके स्थानिक आयाम'' है। अध्ययन की मुख्य बातें:

- राज्यों के समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 2020–21 के लिए जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर रखा गया है;
- ऋण और गारंटियों की बढ़ती स्तर आगे जाकर राज्य वित्त को जोखिम खड़ा करेगी ।
- महामारी से बहाली को बनाए रखने से जनसांख्यिकीय और सह–रुग्णता प्रोफाइल के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा; सार्वजनिक सेवाओं के अधिक कुशल प्रावधान के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण; शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन; और स्थानीय सरकारों की बढ़ती कार्य व्यवस्था।

पूरा प्रकाशन पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. अनुसंधान

रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत ''भारत में बैंक पूंजी और मौद्रिक नीति संचरण'' शीर्षक से एक वर्किंग पेपर रखा जिसका लेखन सिलु मुदुली और हरेंद्र बेहरा ने किया है। यह पेपर वैश्विक वित्तीय संकट अवधि के पश्चात भारत में मौद्रिक नीति संचरण में बैंक पूंजी की भूमिका की जांच करता है। बैंक पूंजी चैनल बताता है कि मौद्रिक नीति कैसे किसी बैंक की समग्र पूंजी स्थिति को प्रभावित करके बैंक ऋण देने को प्रभावित कर सकती है। बैंकों के ऋण देने और उधार लेने की गतिविधि में पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।